



75
आजादी का
अमृत महोत्सव

“अमलतास”

वार्षिक पत्रिका : प्रथम अंक
वर्ष : 2022-23



अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखा परीक्षा एवं सतत् विकास केन्द्र (आईसीईडी)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्लॉट 6-7, रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया, कांत कालवाड, अचरोल, जयपुर-दिल्ली हाईवे, जयपुर-303002

Email ID : iced@cag.gov.in
Phone No. - 0141-2772000



"अमलतास"

वार्षिक पत्रिका: प्रथम अंक

वर्ष : 2022-23

संरक्षक:	श्रीमती सायंतनी जाफ़ा, अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (महानिदेशक ,आईसीईडी जयपुर)
परामर्शदाता :	श्री दीन दयाल वर्मा, निदेशक (प्रशासन)
प्रबंध संपादक:	श्री गौरव जैन, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)
संपादक :	श्री राजेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)
सहसंपादक :	श्री उत्कर्ष कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (प्रशासन)
आवरण पृष्ठ:	कार्यालय परिवेश के चित्र

नोट: पत्रिका के इस अंक में प्रकाशित विचार रचनाकारों के निजी हैं, उससे संपादकमंडल या संरक्षक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। रचनाकारों की मौलिकता के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अनुक्रमणिका

विषय			पृष्ठ संख्या
	संदेश - श्री अमित शाह, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार		i-ii
	संदेश - श्रीमती सायंतनी जाफ़ा, अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (महानिदेशक, आईसीईडी जयपुर)		iii
	संदेश - श्री पुष्कर कुमार, निदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान)		iv
	संदेश - श्री दीन दयाल वर्मा, निदेशक (प्रशासन)		v
क्रम संख्या	रचनाएँ	योगदानकर्ता का नाम एवं पद	पृष्ठ संख्या
1.	प्रकृति के अधिकार: "अन्य सभी अधिकारों का मूल"	निशांत कुमार उपाध्याय, रिसर्च इनटर्न	1
2.	फ़ास्टफ़ैशन सतत विकास का अधूरा सच	जयंत शर्मा, सलाहकार	4
3.	कोरोना का समय	विकास धीर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9
4.	हरित पहल - लेम्सचेनलोक संगठन (नागालैंड) के संरक्षण प्रयास	सौरभ शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	11
5.	हरित पहल- "हल्मा"- जल संरक्षण के लिए एक सदियों पुरानी सामुदायिक परंपरा	विकास धीर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	13
6.	स्वतंत्रता के बाद भारत में पर्यावरण प्रबंधन	मनोज कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	16
7.	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखा परीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (iCED) में पर्यावरणीय संरक्षण	मनीष मंगल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं सोनू दायमा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक/सम्पदा	20
8.	प्राचीन भारत में पर्यावरणीय प्रबंधन	मनोज कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	26
9.	जलवायु परिवर्तन और लाइकेन: क्या लाइकेन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में पिछड़ रहे हैं?	डॉ दिव्या सिंह, रिसर्च असोसिएट	29
10.	यूरोपीय संघ के वनों में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के लिए यूरोपीय संघ का वित्त पोषण: सकारात्मक लेकिन सीमित परिणाम (2021 की विशेष रिपोर्ट 21)	अनुपम श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	31

11.	मेरी अंडमान यात्रा	उत्कर्ष कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ लेखापरीक्षक/प्रशासन	34
12.	आई सी ई डी परिसर में सम्पन्न हुई विभिन्न गतिविधियों की झलकियाँ	राजेश कुमार एवं रोहन शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	36
13.	फूलों से भरपूर अमलतास वृक्ष का चित्र कविता के साथ	जयंत शर्मा, सलाहकार	43

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार



प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गयी थीं और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपना समृद्ध इतिहास भी रखती हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। यही कारण है कि आज़ादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन को गति प्रदान की। 'स्वराज' प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आन्दोलन निहित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश दिए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नये संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।

किसी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब वह देश के जन सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझते हों और जनसामान्य में लोकप्रिय हो। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण किए गए और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई। राजभाषा की इस विकास यात्रा में हमने कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विगत तीन वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत है जिससे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी का काम-काज तेजी से बढ़ा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों में माननीय मंत्री भी अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र करने और समय समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु मई, 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात 57 मंत्रालयों में से 53 में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देश भर में विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के दस खंड माननीय राष्ट्रपति जी को

प्रस्तुत कर चुकी है तथा 11 वां खंड शीघ्र ही सौंपा जा रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा 13-14 नवंबर, 2021 को बनारस में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तथा नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों से हिंदी प्रेमियों के उत्साह में अपार वृद्धि हुई है। यह और भी सुखद है कि हिंदी दिवस-2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन गुजरात के सूरत शहर में हो रहा है।

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है जिसमें आज लगभग 22 लाख वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। इस टूल का प्रयोग सुनिश्चित कर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जन-साधारण के लिए 'लीला हिंदी प्रवाह' मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषा-भाषी अपनी-अपनी मातृभाषाओं से निःशुल्क हिंदी सीख सकते हैं। राजभाषा विभाग के 'ई-महाशब्दकोश' में 90 हजार शब्द सम्मिलित किए गए हैं और 'ई-सरल' हिंदी वाक्यकोश में 9 हजार वाक्य शामिल हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति मिली जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है। राजभाषा विभाग ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पत्रकारिता तथा व्यवसाय आदि सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी से हिंदी 'बृहत शब्दकोश' के निर्माण पर भी काम शुरू किया है और सुलभ संदर्भ के लिए एक अच्छे शब्दकोश का सृजन किया जा रहा है। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्रहण करने में भाषा की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी।

हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की अविरल धारा हमारी भाषाओं, संस्कृति और लोकजीवन में सुरक्षित रही है। भारत में स्थानीय भाषाओं का योगदान हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अतुलनीय रहा है। इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी उन समस्त भारतीय भाषाओं की मूल परंपरा से है जो इस देश की मिट्टी से उपजी हैं, यहीं पुष्पित पल्लवित हुई हैं और जिन्होंने अपनी शब्द-संपदा, भाव संपदा, रूप, शैली और अपने पदों से हिंदी को लगातार समृद्ध किया है। राजभाषा हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है और हमारी सभी भाषाओं का विकास एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव है।

प्रिय देशवासियों ! हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप और हम मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी भाषाओं पर गर्व की अनुभूति करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश-विदेश के मंचों पर हिंदी में उद्बोधन देते हैं जिससे सभी हिंदी प्रेमियों में उत्साह का संचार होता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिभाशाली नेतृत्व में आने वाले 25 वर्षों को देश में अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में भाषाई समरसता को ध्यान में रखते हुए हिंदी तथा हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

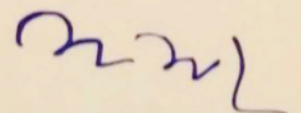
आइये, आज संकल्प लें कि अपने दैनिक कार्यों में, कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक काम हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में करके दूसरों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिंद!

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2022



(अमित शाह)



संदेश

आईसीईडी कार्यालय की वार्षिक गृह पत्रिका "अमलतास" का प्रथम अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारा उद्देश्य इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना है।

विभागीय हिंदी पत्रिकाओं ने राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई है। मैं, "अमलतास" के प्रथम अंक को पठनीय एवं रोचक बनाने हेतु संपादकमंडल के सदस्यों सहित सभी लेखकों को बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के निरंतर विकास एवं प्रचार-प्रसार करने की दिशा में बहुत योगदान प्रदान करेगी।

पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इस अंक के ज्ञानवर्धक व प्रेरणात्मक होने के लिए मेरी शुभकामनाएं।

स. ज.

सायंतनी जाफ़ा
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(महानिदेशक, आईसीईडी जयपुर)



संदेश

“अमलतास” का प्रथम अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे सुखद आभास हो रहा है। इस बात की भी खुशी है कि इस कार्य में सभी से सहयोग प्राप्त हो रहा है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित वार्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करते हुए तथा राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देशों के अनुपालन में हिंदी पत्रिका का प्रकाशन सहरानीय हैं।

कार्यालय में राजभाषा हिंदी के सतत् विकास एवं हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्मिकों को रचनात्मक मंच प्रदान करने में इस पत्रिका की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। “अमलतास” उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करती है जो हिंदी भाषा में लेख एवं रचनाएँ लिखने में रुचि रखते हैं।

पत्रिका के प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी सदस्यों एवं लेखकों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

पुष्कर कुमार
निदेशक
(प्रशिक्षण एवं अनुसंधान)



संदेश

हमारे कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका "अमलतास" का प्रथम अंक पाठकों को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह पत्रिका इस कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने विचार तथा साहित्यिक कौशल अभिव्यक्त करने हेतु एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती है। मुझे आशा और विश्वास है कि "अमलतास" पत्रिका का यह अंक पाठकों को समृद्ध करने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहायक होगा। यह पत्रिका इस कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का राजभाषा के प्रति समर्पण की भावना दर्शाती है।

मैं उन सभी रचानाकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ राजभाषा हिंदी के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाया है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा कार्यालय भविष्य में भी इस पत्रिका का प्रकाशन जारी रखते हुए हिंदी के कार्यान्वयन में अपना योगदान प्रदान करता रहेगा। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मण्डल एवं सभी सहयोगकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं।

दीन दयाल वर्मा
निदेशक
(प्रशासन)

प्राकृतिक अधिकार: "अन्य सभी अधिकारों का मूल"

निशांत कुमार उपाध्याय, रिसर्च इनटर्न, आई सी ई डी, जयपुर

"नदी को अब कानून, कोड ने एक जीवित इकाई माना है इसलिए यदि आप ऐसा कुछ भी करते हैं जो नदी को नुकसान पहुँचाता है तो आपको कानून द्वारा निर्धारित परिणामों का सामना करना पड़ेगा।"

मोहम्मद अब्दुल मैटिन, बांग्लादेश पोरिबेश आंदोलन के महासचिव

अधिकार जो प्राथमिक निवारक उपाय हैं, अत्याचारों को रोकने और प्रतिकूल कार्यों को सीमित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ पैदा होता है। भारतीय संविधान भी लोगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, तो आज हम इन अधिकारों की बात क्यों कर रहे हैं?

मेनका गांधी मामले (1979) और एमसी मेहता मामले (2004) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि स्वच्छ पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता का अधिकार मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अनुच्छेद 21 "जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार" के अंतर्गत आता है।

जुलाई, 2019 में बांग्लादेश नदियों को मानव के समान अधिकार देने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने नदी को माँ घोषित किया और कुछ अधिकारों के साथ इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। जो कोई भी इन अधिकारों का उल्लंघन करता है | उसे कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है और उसे नियुक्त आयोग "राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोग" (एन.आर.सी.सी.) द्वारा अदालत में ले जाया जा सकता है जो रक्षक या अभिभावक के रूप में कार्य करता है। इस कदम का तात्पर्य आधुनिक समय में मानवजनित से पर्यावरण-केंद्रित अधिकारों की अवधारणा की यात्रा से भी है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, भारत ने 2017 में गंगा व यमुना नदी और उनके पारिस्थितिक तंत्र को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया। अदालत ने उन्हें "जीवित मानव इकाइयाँ- न्यायिक और नैतिक व्यक्ति " घोषित किया। अदालत ने इसके बाद एक और फैसला सुनाया जिसमें उसने गंगोत्री और यमुनोत्री से संबंधित ग्लेशियरों को जीवित मानव इकाइयों के समान अधिकारों के साथ एक प्राकृतिक प्रणाली के रूप में घोषित किया।

पर्यावरणीय व्यक्तित्व क्या है?

पर्यावरण को मनुष्य के समान अधिकार देना और उसके लिए वैधानिक प्रावधान करने को पर्यावरणीय व्यक्तित्व या पर्यावरण के मानवीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। 1974 में क्रिस्टोफर डी.

स्टोन ने अपनी पुस्तक "क्या पेड़ों का अस्तित्व होना चाहिए ? "पर्यावरणीय व्यक्तित्व की अवधारणा पर प्रकाश डाला और तर्क दिया कि यदि पर्यावरणीय इकाइयों को "कानूनी व्यक्तित्व" दिया जाता है तो इसका स्वामित्व किसी के पास नहीं हो सकता है और उन्हें अपनी रक्षा के लिए अदालत में पेश होने का अधिकार होगा। हालांकि इससे जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि पर्यावरण की ओर से न्यायालय में कौन पेश होगा? इसके जवाब में, न्यूजीलैंड जैसे देश ने संरक्षकता की अवधारणा को अपनाया, जबकि अन्य देशों ने पर्यावरण संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोगों की नियुक्ति की।

भारत और पर्यावरणीय व्यक्तित्व: भारत में पर्यावरण को व्यक्ति के रूप में दिखाया जाना कोई नई घटना नहीं है। भारत में सदियों से समुदायों द्वारा पेड़ों, नदियों, झीलों और पहाड़ों को देवी और देवताओं के रूप में दिखाया गया है। वे इन पर्यावरणीय संस्थाओं की पारंपरिक तरीके से पूजा करते हैं जिन्होंने उनके संरक्षण में मदद की है। भारत के पारंपरिक और नैतिक मूल्यों में भी पर्यावरण को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया है। कई त्योहारों के दौरान तुलसी, पीपल (फिकस रिलिजिओसा), बरगद आदि की पूजा की गई है।

भारत में देवता और पर्यावरण की विकेन्द्रीकृत अवधारणा: भारत में कई जनजातियाँ और समुदाय हैं जिनमें विविधता है और जिनके अपने रीति-रिवाज तथा परंपराएं हैं। इसने भारतीय समाज में देवताओं की विकेन्द्रीकृत अवधारणा को जन्म दिया। भारतीय जनजातीय समुदाय में व्यक्तित्व की विकेन्द्रीकृत प्रणाली ने कई स्तरों पर पर्यावरण का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए गोंड आदिवासी समुदाय साजा वृक्ष को अपने बारादेव देवता के रूप में पूजा करते थे, जबकि त्रिपुरी समुदाय गंगा नदी की, अपनी देवी के रूप में पूजा करते हैं। ये समुदाय पर्यावरण के व्यक्तित्व की अवधारणा को अपनाकर पर्यावरण के विकेन्द्रीकृत संरक्षक की तरह कार्य करते हैं और अधिकारों के सही अर्थ को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पर्यावरण के व्यक्तित्व की अवधारणा मानव समाज में अनादि काल से प्रचलित है। मानव समुदाय अपने नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए इनका पालन करता रहा है। हालाँकि, इन पर्यावरणीय इकाइयों को व्यक्तित्व का दर्जा देने से कोई प्रगति नहीं हुई है, भले ही हमने लोगों को विभिन्न कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। अब समय आ गया है कि हम इन पर्यावरणीय संस्थाओं के प्रति नैतिक और नीति से कानूनी अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपना समर्थन दें। दुनिया भर के विभिन्न देशों ने पर्यावरण संस्थाओं को कानूनी दर्जा देने की

दिशा में प्रयास शुरू किया है। हमें बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरणीय इकाइयों के व्यक्तित्व को कानूनी दर्जा प्रदान करने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए।

फ़ास्टफ़ैशन सतत विकास का अधूरा सच

जयंत शर्मा, सलाहकार, आई सी ई डी, जयपुर

क्या है फ़ास्टफ़ैशन ?

आजकल का दौर फ़ास्टफ़ैशन का है । फ़ास्टफ़ैशन आखिर है क्या ? एक ऐसा ट्रेंड जिसमें उत्पादों के प्रचलित रूप बहुत जल्दी से बदल दिये जाते हैं कुछ महीनों, कुछ हफ्तों अथवा कभी-कभी तो कुछ दिनों में ही ताकि ग्राहक नए उत्पादों को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हों । फ़ास्टफ़ैशन में कोई उत्पाद अविश्वसनीय समय के भीतर तैयार मिल सकता है । आप अपने आस-पास इसे अनुभव कर सकते हैं । यह हमारी मनःस्थिति में बदलाव कर देता है । हमारे पास वस्त्र, फूटवियर, चश्मे, घड़ी, पंखे, मोबाईल फ़ोन, फर्नीचर, साज सज्जा के सामान इत्यादि भले ही सही-सलामत और प्रचुर मात्रा में हो तथापि हमारा मन उनके स्थान पर प्रचलित वस्तुओं को ही इस्तेमाल करने का होने लगता है । यह दिखने में तो अति-आकर्षक लगता है परन्तु इसकी कीमत बहुत ज्यादा है । हमारी जेब पर भी और हमारे पर्यावरण पर भी । तो चलिए आज हम फ़ास्टफ़ैशन के सबसे प्रचलित आइटम यानि पहने जाने वाले वस्त्रों की चर्चा करते हैं ।

कैसे काम करता है फ़ास्टफ़ैशन ?

आप देखेंगे की हर हाथ स्मार्ट फ़ोन, इंटरनेट और ऑनलाइन खरीद की सुविधा होने से ढेरों विज्ञापन हमारे पास स्वतः आ जाते हैं जिसमे नयी-नयी वस्तुएं बहुत ही आकर्षक कीमतों में हमें खरीदारी करने के लिए सतत लालायित करती रहती हैं फिर चाहे हमें उसकी आवश्यकता हो अथवा नहीं । फ़ास्टफ़ैशन वैश्विक व्यवसाय बन चुका है । इसकी सप्लाय-चेन बहुत सशक्त होती है । कई उत्पाद तो आर्डर से लेकर सप्लाय तक मात्र कुछ हफ्तों, कुछ दिनों अथवा कुछ घंटों में ही पूर्ण कर दिये जाते हैं ।

आज वस्त्र उद्योग की कीमत-करीब तीन ट्रिलियन डॉलर है जिसके वर्ष 2030 तक 60 प्रतिशत और बढ़ जाने की उम्मीद है । फ़ास्टफ़ैशन सस्ते वस्त्रों का व्यवसाय है, यहाँ लोगो से यह उम्मीद की जाती है की वे उन्हें तेजी से बदलने के लिए तैयार होंगे । सिर्फ़ फैशन के अनुरूप खरीदारी करने वालों के लिए यह आम बात है कि वे खरीदा गया वस्त्र एक बार, दो बार या फिर शायद कभी ना पहनें । उनकी अलमारियाँ अथवा वार्डरोब वस्त्रों से पूरी तरह भरी होती है फिर भी कोई नया रंग, डिजाइन अथवा स्टाइल देख वे अपने आप को रोक नहीं पाते और पैसा खर्च कर उसे ले ही आते हैं फिर चाहे वे उसे कभी ना पहनें । दुनिया के बड़े ब्रांड हर साल करीब 50-70 हजार नए उत्पाद/मॉडल बनाते

है यानी 125 से 200 उत्पाद/मॉडल रोज । हर महीने वे अपने कलेक्शन का 3/4 उत्पाद बदल देते हैं । ऐसे में मझोले और छोटे ब्रांडो को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए करीब 5000 ब्रांड तो प्रतिवर्ष बनाने ही पड़ते हैं तथा 3-4 महीनो में पुराने उत्पादों को बदलना ही पड़ता है । ग्राहकों में मौका चूक जाने की भावना ऐसी प्रबल होती है कि वे अपने पसंद के ब्रांड स्टोर्स में हर हफ्ते आते हैं । अब तो ऑनलाइन सुविधा हो गई है ऐसे में वे करीब-करीब रोज नए उत्पादों को देख और खरीद सकते हैं ।

उन्हें वस्त्र खरीदने का नशा सा होता है जब भी कुछ नया दिखे तो वह उन्हें तुरंत चाहिए ही होता है । कभी ना थमने वाली यह तीव्र इच्छा बड़े ब्रांडो की बनाई होती है । वे जानते हैं कि मस्तिष्क का एक खास भाग ऐसी इच्छाओं को जन्म देने के लिए जिम्मेदार होता है तथा जिसे विज्ञापन अथवा प्रस्तुतीकरण से कैसे जाग्रत किया जा सकता है ताकि लोग उनके उत्पाद खरीदने के लिए बैचैन हो जायें । इसे न्यूरो-मार्केटिंग कहा जाता है । दिमाग का यह हिस्सा नूक्लियस एक्मबस कहा जाता है जो इनाम पाने की इच्छाओं को जाग्रत करता है । बड़ी कम्पनियाँ शॉपिंग के दिमाग पर पड़ने वाले असर को सशक्त बनाने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करती हैं । कंपनियों को जितना पता होगा कि लोगो के दिमाग के इस हिस्से में उनके ब्रांड्स के बारे में क्या चल रहा है उतना ही वे लोगो के खरीदने के तरीको को प्रभावित करने में सफल होंगी ।

बोनस अंक, एक के बदले एक मुफ्त, रिफंड की सुविधा, फ्री होम डिलीवरी जैसे प्रलोभन हमारे दिमाग के इनाम वाले हिस्से को जाग्रत करता है । फास्टफैशन हमारे दिमाग के इस ही हिस्से को ट्रिगर करता है । इसका मुख्य कारक उनके पास उपलब्ध है और वह है सस्ते दाम । अगर कीमत कम होगी, खासतौर पर प्रतिस्पर्धियों के प्रोडक्ट्स के मुकाबले तो इसे अच्छा या प्रोडक्ट की खासियत समझा जाता है । ऐसे में इसे खर्च के नजरिये से नहीं देखा जाकर बचत के नजरिये से देखा जाने लगता है कि आपको कुछ मिल रहा है और आप काफी पैसा बचाने में सफल हो गए जो किसी और जगह पर खरीदने पर देने पड़ते । जितना कम पैसा उतना ज्यादा सामान आपकी बास्केट में । ऐसे में आप तय से ज्यादा सामान मँगा लेते हैं । यही जाल है, कम कीमतें, बेतहाशा छूट और इन सबसे ऊपर है सोशल मीडिया ।

फास्टफैशन, महँगी कीमत और खास समूह तक पहुंच कि सीमित गुंजाईश जैसे वजहों के चलते विज्ञापन के पुराने तरीको से हट कर ज्यादा प्रभावी तरीके जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का सहारा लेने लगा है । आधे से ज्यादा इंस्टाग्राम-पोस्ट तो फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हैं । औसतन एक व्यक्ति 2-3 घंटे अपने स्मार्टफोन पर बिताता है और चार में से एक यूजर के पास इंटरनेट

कनेक्शन और शॉपिंग ऐप होता है। एक क्लिक से ही सामान आप के घर आ जाता है। जितना ज्यादा समय आप स्मार्टफोन पर बिताएंगे, उत्पादों की बिक्री की गुंजाईश उतनी ही प्रबल होगी। बिका हुआ उत्पाद कुछ दिनों बाद चलन से बहार कर दिया जायेगा और उसका स्थान नया उत्पाद ले लेगा। नया उत्पाद भी कुछ समय पश्चात् तीसरे नए उत्पाद द्वारा बाहर कर दिया जाएगा और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा।

फ़ास्टफ़ैशन का प्रभाव:

फ़ास्टफ़ैशन में उत्पादन दिनों के हिसाब से नहीं मिनट के हिसाब से किया जाता है जिसकी गणना एस एम वी यानि स्टैंडर्ड मिनट्स वैल्यू में की जाती है। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है और वह है नियम और कानूनों की अवहेलना। फ़ास्टफ़ैशन में प्रतिस्पर्धा गलाकाट की स्थिति तक पहुंच जाती है। इसने बढ़ती अनौपचारिकताओं और अनिश्चिंताओं को जन्म दिया है। ऐसे में न सिर्फ़ क्वालिटी से समझौता किया जाता है बल्कि कीमतें भी कम रखनी पड़ती हैं। मझोले और छोटे उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए प्रत्येक आर्डर को लेना ही पड़ता है भले ही उसे पूरा करने की क्षमता उनमें हो अथवा नहीं और जब सभी आर्डर ले लिए जाते हैं तब उन्हें पूरा करने के लिए दूसरी फैक्ट्रियों को देना पड़ता है जो अक्सर दूसरे या तीसरे दर्जे की होती हैं। जिनमें काम करने का स्तर बहुत ही निम्न होता है और न तो मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता है न ही पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है। सस्ती कीमतें रखने के लिए बेरोजगारों और शरणार्थियों का शोषण तथा बालश्रम इन फैक्ट्रियों में देखा जा सकता है। यह स्थिति सिर्फ़ विकासशील देशों में ही नहीं है, विकसित देश भी इससे अछूते नहीं हैं।

फ़ास्टफ़ैशन ने एक बढ़ती हुई अनौपचारिकता और अनिश्चितता को जन्म दिया है। कामगार ज्यादातर अनौपचारिक तौर पर जीरो-ऑवर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने को मजबूर होते रहते हैं।

फ़ास्टफ़ैशन और पर्यावरण:

अब, बड़े पैमाने पर बन रहे सस्ते वस्त्र पेड़ पर तो उगते नहीं हैं। ये पर्यावरण के लिए एक तरह की तबाही ही हैं। इतनी कम कीमत पर वस्त्र बनाने का बड़ा नुकसान पर्यावरण पर पड़ता है। वस्त्र उद्योग अब दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक उद्योगों में गिना जाने लगा है। एक टन कपड़ा करीब 200 टन पानी को प्रदूषित करता है यानि उत्पादन और प्रदूषण का अनुपात है 1:2। अतः जितना उत्पादन होगा उतना ही प्रदूषण होगा और फ़ास्टफ़ैशन का मूल मंत्र ही है कि कम कीमत पर अधिक से

अधिक उत्पादन । इशारा स्पष्ट है, वर्ष 2030 तक 60 प्रतिशत उत्पाद में बढ़ोतरी तो दुगने अनुपात में जल प्रदूषण में बढ़ोतरी ।

जनजागरण और जनमत के दबाव में वस्त्र उद्योग अब अपनी दुबारा ब्रांडिंग कर रहा है । अब मार्केटिंग के लिए जानबूझ कर हरे रंग को चुना जाता है । जैविक, जिम्मेदार और रिसाइक्लिंग के लायक यानि ग्रीन-फैशन का चोला ओढ़कर । एक खास किस्म का कपड़ा विस्कोस इस नयी ब्रांडिंग का प्रतीक है । यह सस्ता कृत्रिम सिल्क है जिसमें लकड़ी के गूदे को रेशे में परिवर्तित कर दिया जाता है । लेकिन लकड़ी के गूदे को रेशे में बदलने में बड़ी मात्रा में हानिकारक और विषैले रसायन इस्तेमाल होते हैं जैसे कि कार्बनडाई सल्फाइड (सी एस 2) जिन्हे उत्पादककर्ता लापरवाही और धन बचाने के लालच में या तो भूमि में मिला देते हैं या फिर नदियों में बहा देते हैं । जो अंततः पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचाता है । यूँ तो विस्कोस को हरित उत्पाद बताया जाता है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । विस्कोस को धागे कि सूरत देने वाला सेलुलोस बनाने के लिए सी एस 2 को लकड़ी के गूदे में मिलते हैं और फिर सरप्पूरिक एसिड में डुबो देते हैं । जिस समय यह सरप्पूरिक एसिड से मिलता है तो यह कार्बनडाई सल्फाइड छोड़ता है जो कि वायु को विषैला बना देता है । जिसका प्रभाव वहां मौजूद कामगारों पर पड़ता है ।

क्या फ़ास्टफैशन को समाप्त किया जा सकता है ?

फ़ास्टफैशन का कपड़ा ज्यादा नहीं टिकता क्योंकि यहाँ कपड़े की गुणवत्ता को नजरअंदाज़ करना मज़बूरी हो जाती है । दरअसल फास्टफैशन छलावे का दूसरा नाम है । मशहूर ब्रांड कम्पनियों के लगभग 30 प्रतिशत उत्पाद प्रतिवर्ष नष्ट कर दिये जाते हैं । हमारे वस्त्रों का मात्र एक प्रतिशत ही रिसाइकल हो पता है अतः ऐसे कपड़ों से बने वस्त्र बड़ी मात्रा में कूड़े के ढेर में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है । तो क्या फास्टफैशन को रोक देना चाहिए ? यदि हां तो क्या ऐसा करना संभव है ? आज के दौर में क्या स्लो-फैशन यानि अच्छी, ऊंची और ज्यादा गुणवत्ता वाले टिकाऊ कपड़ों को पूर्ण रूप से लागू करना संभव है ? ऐसे प्रयास तारीफ के तो लायक हैं लेकिन इनका असर सीमित है क्योंकि स्लो-फैशन ज्यादा नहीं लुभाता । शोध में खुलासा हुआ है कि जिन स्टोर्स में नए वस्त्र कम आते हैं उन स्टोर्स कि बिक्री भी कम होती है । तो फ़ास्ट फैशन लगातार लोकप्रिय होता रहेगा और यह सुधार की ओर, सर्कुलर इकोनॉमी की ओर दिशा दिखाता रहेगा । ऐसे में जरूरत है खरीदारी में आम लोगो के स्वतः नियंत्रण और अनुशासन की ।

अस्वीकरण:

यह आलेख निफ्ट मुंबई के पूर्व विधार्थियों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है । आलेखकर्ता का मकसद किसी उत्पाद विशेष को हतोत्साहित करना या बढ़वा देना नहीं है । तथापि पाठक आलेख का अध्यन करते हुए अनेक-बार अपने-आप को आलेख में वर्णित बिन्दुओ से अन्तर्विष्ट करता हुआ पाएंगे ।

कोरोना का समय

विकास धीर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी/अनुसंधान), आई सी ई डी, जयपुर

21 अप्रैल, 2021 को सोनीपत में गुरुवार की दोपहर थी। मैं अपने पैरों को डैशबोर्ड पर रखते हुए अपनी कार में झपकी ले रहा था। भीषण गर्मी में कार के एयर कंडीशनर ने मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छी नींद दी।

मेरी कार कोविड केयर अस्पताल के सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। सूरज कार की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। यह चौथा दिन था जब मैं अपनी कार में सो रहा था और कोरोना से त्रस्त शहर में मौतों की अधिकता देख रहा था। अस्पताल प्रबंधन ने मुझे अपने परिसर के अंदर सोने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। इसलिए मेरी कार उन दिनों मेरे सोने, खाने और आराम करने के लिए घर की तरह काम कर रही थी।

बाहर चिलचिलाती गर्मी थी। मैं अपनी कार से बाहर आया और बोतल के पानी से अपना चेहरा धोया। सड़क एम्बुलेंस और मरीजों को ले जाने वाले अन्य वाहनों से भरी हुई थी। इस महामारी के कारण, स्थानीय आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया था, केवल आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी।

मैंने देखा कि लोग अस्पताल प्रशासन से अपने उन मरीजों को भर्ती करने की गुहार लगा रहे थे जो कोरोना से पीड़ित थे। वे अपने मरीजों के साथ व्हील चेयर और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बाहर खड़े थे। अस्पताल के बाहर लोगों की चीख-पुकार उनकी आवाज के शीर्ष पर सुनी जा सकती थी। नारियल पानी के खोखे पर भीड़ उमड़ रही थी, क्योंकि नारियल पानी को कोरोना पीड़ितों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता था।

लगभग हर 4 घंटे के बाद, मैं अस्पताल से बाहर आने वाले ताबूत में लिपटे एक या दो शवों का चश्मदीद गवाह बन रहा था। मैं कोरोना के दर्दनाक सत्य से बच नहीं पाया। मैं कोरोना द्वितीय लहर महामारी के भयानक सच से दूर नहीं हो सका। लोगों के लिए शव को श्मशान घाट तक ले जाना मुश्किल हो रहा था।

भले ही श्मशान स्थान अस्पताल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन पर्याप्त एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थे, और जो उपलब्ध थे उनमें से कुछ मृत पीड़ितों को वहां ले जाने के लिए अत्यधिक

शुल्क ले रहे थे। । मेरे पास और मेरे दोस्त ने कुछ लोगों की मदद की, जो कुछ भी हमारे पास था ताकि उनके लिए अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करना आसान हो जाए।

चूंकि कोरोना को छूत की बीमारी घोषित कर दिया गया था, इसलिए मैंने और मेरे साथी ने अतिरिक्त एहतियात के तौर पर अपने लिए अतिरिक्त कोविड सुरक्षा किट जमा कर रखी थीं। चूंकि हमने कोविड सुरक्षा किट पहन रखी थी, इसलिए हमने उन लोगों की मदद की जिनके पास अपने प्रियजनों के शव ले जाने के लिए मानव शक्ति की कमी थी।

सुबह 11.30 बजे एक ऑटो-रिक्शा चालक अपनी मां को पूरी तरह से कंबल से ढककर अस्पताल लेकर पहुंचा। वह जोर-जोर से सांस ले रही थी और सर्दी-खांसी से कांप रही थी। इस रोग की संक्रामक विशेषता के कारण कंबल के अंदर कांपती वृद्ध महिला के पास किसी ने आने की कोशिश नहीं की।

अंततः पंद्रह मिनट के बाद अस्पताल से कोविड सुरक्षा किट पहने एक नर्स आई और वृद्ध महिला की नब्ज और ऑक्सीजन लेवल की जांच की। मैं भी कुछ दूर खड़ा था और नर्स को वृद्ध महिला का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम कहते हुए सुना। मैं नर्स के पास गया और संतृप्ति स्तर के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि यह 40 से 50 के बीच था और उसने उसे आपातकालीन मामला घोषित कर दिया।

मैंने अस्पताल के प्रबंधक से उसके प्रवेश के लिए अनुरोध किया, लेकिन उसने बिस्तर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को मुख्य कारण बताते हुए साफ इनकार कर दिया। वृद्ध महिला ने अपने बेटे को अस्पतालों में बिस्तरों की कमी से अनजान दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। अगले 45 मिनट में वृद्ध महिला मर गई और मेरे सामने उसने अंतिम सांस ली। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं असहाय रूप से कोरोना वायरस का इतना भयानक चेहरा देखूंगा ।

उसका बेटा कुछ नहीं कर सका लेकिन अपनी मां की मौत के आखिरी पलों को बेबसी से देखता रहा। इस दूसरी लहर के दौरान देश में कोरोना वायरस संक्रमण में भारी उछाल देखा गया।

मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी विपत्तिपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे मेरे चारों ओर इतनी बड़ी मानवीय क्षति, दुख और पीड़ा हो सकती है ।

हरित पहल - लेम्सचेनलोक संगठन (नागालैंड) के संरक्षण प्रयास

सौरभ शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आई सी ई डी, जयपुर

एक अरब से अधिक लोग जंगलों में और उनके आसपास रहते हैं जो ईंधन, भोजन, दवाओं और निर्माण सामग्री के लिए उन पर निर्भर हैं। वन हमें आश्रय, आजीविका, पानी, भोजन आदि प्रदान करते हैं। जंगल दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का घर हैं और वे 6 करोड़ स्वदेशी लोगों सहित कई अलग-अलग मानव बस्तियों के लिए आजीविका का स्रोत भी बनाते हैं।

वनों पर निर्भरता के बावजूद भी मानव ने पहले ही विश्व के लगभग 40% वनों को नष्ट कर दिया है और आज एक फुटबॉल पिच के आकार का एक क्षेत्र अभी भी हर सेकंड नष्ट हो रहा है। वनों की रक्षा करना और उनका जीर्णोद्धार करना कभी अधिक आवश्यक नहीं रहा। हालांकि, भारत में कुछ स्थानीय समुदायों ने वन विभाग के साथ भागीदारी को संरक्षण के एक प्रमुख माध्यम के रूप में उपयोग किया है। ऐसी ही एक पहल नागालैंड में लेम्सचेनलोक संगठन ने की है।

लेम्सचेनलोक 2007 में स्थापित एक संगठन है जो याओंगविमचेन जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र (वाईबीसीए) में वनों और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम करता है। वाईबीसीए के मुख्य संरक्षण क्षेत्र में लोंगलेंग जिले के अंतर्गत योंगिइमचेन, अलयोग और सांग्लू के तीन गांव शामिल हैं।

नागालैंड में जंगल या नदी का भूमि स्वामित्व या तो एक व्यक्ति या एक कबीले का होता है। ग्रामीणों ने इमारती लकड़ी, लकड़ी, वन उपज और जानवरों को बेचकर पैसा कमाया। नकदी फसलों के कारण रसायनों के बड़े पैमाने पर उपयोग और देशी फसलों की कमी, क्षेत्र में भूमि की उर्वरता को कम करने के लिए जिम्मेदार थी। इसके अलावा, वाईबीसीए क्षेत्र का व्यापक रूप से झूम क्षेत्रों के रूप में उपयोग किया जा रहा था।

लेम्सचेनलोक संगठन की पहल पर ग्राम परिषदों के बीच कई वर्षों के विचार-विमर्श के बाद, ग्रामीणों ने वाईबीसीए (याओंगविमचेन जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र) शुरू करने का निर्णय लिया। पहला कदम परिवारों को अपनी वन भूमि के कुछ हिस्से को अलग रखने और एक अतिचार के शासन को लागू करने के लिए राजी करना था। जमीन मिलने के बाद संगठन ने पक्षियों और जानवरों के लिए पेड़ लगाना शुरू कर दिया। टीम ने झूम की खेती के लिए 'स्लेश एंड बर्न' की पारंपरिक प्रथा को कम करने के लिए कृषक समुदायों से भी संपर्क किया। उन्होंने किसानों को कटहल, आम और नाइट्रोजन स्थायीकरण पेड़ों सहित देशी पौधों के साथ नकदी फसलों को बदलने में मदद की। पहले वाईबीसीए

क्षेत्र का उपयोग झूम क्षेत्रों के रूप में किया जाता था और पहले एक झूम चक्र लगभग 15 वर्ष का होता था, लेकिन अब यह चक्र छह से सात वर्ष के चक्र तक कम हो गया है क्योंकि क्षेत्रों को जैव विविधता संरक्षण के लिए बदल दिया गया है। इसके किनारों पर स्लेश और बर्न खेती के प्रतिकूल प्रभावों को बेअसर करने के लिए, लेम्सचेनलोक सोसाइटी एक एकीकृत टेरेस खेती की एक अभिनव बहु-फसल पद्धति को शुरू करने में, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से काम कर रही है।

तब से संगठन ने वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा और सतत संसाधन प्रबंधन के लिए काम किया है।

समुदाय के संरक्षण प्रयासों ने क्षेत्र को पक्षियों की 85 प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बना दिया है, जिसमें अमूर बाज़, मेंढक की 15 प्रजातियाँ, साथ ही तेंदुए, भारतीय काकड़ (बार्किंग डीएर), सीरो और ऊदबिलाव आदि शामिल हैं। बाज़ और हॉर्नबिल जैसे पक्षियों के लिए क्षेत्र में पेड़ों के कुछ कुंज आरक्षित हैं। यह क्षेत्र राज्य में अमूर फाल्कन्स के लिए प्रमुख आश्रय स्थलों में से एक बन गया है। वाईबीसीए भी अमूर बाज़ों के लिए पड़ावों में से एक है।

(प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन, सीएमएस प्राथमिकता वाली प्रजातियाँ) दक्षिण अफ्रीका में उनके लंबे प्रवास से पहले इनमें से दसियों और हजारों रैप्टर यहां एकत्रित होते हैं जिससे नागालैंड विश्व का फाल्कन कैपिटल बन जाता है।

समुदाय अमूर फाल्कन से जुड़े विभिन्न शोध अध्ययनों में भी लगा हुआ है। 2018 में लेम्सचेनलोक संगठन ने 44,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए "लॉन्गलेंग" नामक अमूर फाल्कन के दूसरे चक्र के पूरा होने का जश्न मनाया। साथ ही 2016 में यहां पक्षियों को टैग करना वाले एकमात्र 'सक्रिय' उपग्रह को भी टैग किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लेम्सचेनलोक को 2015 में अमूर बाज़ के संरक्षण के प्रयासों के लिए मान्यता दी। संगठन को वन्य और पालतू प्रजातियों (संस्थान) के संरक्षण की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 का चौथा संस्करण प्राप्त हुआ। संगठन को 2021 में गवर्नर्स गोल्ड मेडल अवार्ड भी मिल चुका है।

लेम्सचेनलोक संगठन के प्रयासों ने इस क्षेत्र में नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए एक लंबा सफर तय किया है। समुदाय के संरक्षण की सोच ने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाली पीढ़ियों को वनों को एक बेहतर स्थिति में स्थानांतरित किया जाए। इस तरह की सफल संरक्षण पहल से पता चलता है कि स्वदेशी समुदाय पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

हरित पहल- "हल्मा" - जल संरक्षण के लिए एक सदियों पुरानी सामुदायिक परंपरा

विकास धीर सहायक प्रशासनिक अधिकारी/अनुसंधान, आई सी ई डी, जयपुर

परिचय

2011 की जनगणना के अनुसार, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। उन्हें "भारत के बहादुर धनुर्धर" के रूप में जाना जाता है जिनके पास पर्यावरण की रक्षा करने के लिए समृद्ध संस्कृति और प्रथाएं हैं। भीलों में अनादि काल से हल्मा परंपरा चली आ रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी गांवों में हल्मा एक सदियों पुरानी परंपरा है।

हल्मा में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की भागीदारी शामिल है जिसमें अन्य परिवारों को बिना शर्त परिवार की मदद करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जब उनके सभी साधन समाप्त हो जाते हैं। इस मदद को "पुकार" कहा जा सकता है। परंपरा निस्वार्थता, परोपकार और सामुदायिक मूल्यों का प्रतीक है। समुदाय की समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसके बाद समस्या को व्यक्तिगत मुद्दे या पूरे समुदाय की दुर्दशा के रूप में पहचाना जाता है। परंपरा, विकास में बड़ी चुनौतियों से पार पाने का उपाय बन गई है।

हल्मा को आधुनिक सामुदायिक प्रथाओं में शामिल करना।

हल्मा को बढ़ाने की क्षमता बहुत बड़ी है। यह "शिवगंगा समग्र विकास परिषद" के अनुभव से स्पष्ट है। "शिवगंगा अभियान" नाम के बैनर तले हल्मा की परंपरा को लोगों के लिए एक अभियान में रूपांतरित किया गया है। शिवगंगा ने क्षेत्र में पानी के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए हल्मा की प्रथा का उपयोग करके इसके मूल्य और लोकप्रियता को बनाए रखने में मदद की।

मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिलों के आदिवासी लंबे समय से जल संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने हल्मा की अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक प्रथा का उपयोग करके एक अलग तरीके से स्थिति से निपटने का फैसला किया। स्थानीय लोग पहले से ही पारंपरिक संरक्षण विधियों का उपयोग करके जल संरक्षण प्रथाओं में लगे हुए थे। उन्होंने आगे इस संबंध में अपने प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए "हल्मा" की प्रथा को शामिल करने का निर्णय लिया। हर साल क्षेत्र में समोच्च खाइयों के निर्माण के लिए लोग नियमित रूप से "हल्मा" के तहत इकट्ठा होते थे। भौतिक कार्यों का निर्माण जैसे खंडित पहाड़ियों पर समोच्च खाइयों की खुदाई, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, वृक्षारोपण सभी सामूहिक श्रम द्वारा किया जाता है। हल्मा दिवस पर उत्खनन स्थलों का पर्यवेक्षण

ग्राम इंजीनियरों और वाटरशेड विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। पिछले दस वर्षों में जनजातियों ने अकेले झाबुआ जिले के 225 गांवों में लगभग 3200 बड़े तालाबों का निर्माण किया है।

इस क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए आदिवासियों ने पहाड़ियों के चारों ओर समोच्च खाइयाँ खोदीं, पेड़ लगाए, हैंडपंपों की मरम्मत की और तालाबों का निर्माण किया। युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जल संरक्षण के कई कार्यक्रम चलाए गए। वर्षा जल एकत्र करने, तालाबों, चेक डैम, झीलों और कुओं जैसे जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान शुरू किए गए थे।

उपलब्धियाँ

2018 में लगभग 12000 ग्रामीण एकत्र हुए और झाबुआ के हाथीपावा में आयोजित हल्मा में भाग लिया। इसमें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ-साथ आईआईटी और आईआईएम के छात्र शामिल हुए। वर्ष 2020 में लगभग 20,000 लोगों ने एक साथ आकर 40,000 समोच्च खाइयाँ बनाईं जो अगले पाँच वर्षों में 360 करोड़ लीटर पानी का उत्पादन करने में सक्षम होंगी। अब तक 1,60,000 से अधिक समोच्च खाइयों का निर्माण किया जा चुका है। इससे आसपास के गांवों में पानी की उपलब्धता में वृद्धि हुई है जिससे कृषि उत्पादन और वन्य जीवन में सुधार हुआ है।

शिवगंगा द्वारा आयोजित वार्षिक हलमा ने आदिवासी समुदाय को अपनी परंपरा पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया। इसने आदिवासी समुदाय के सदस्यों द्वारा गांवों में जल संचयन क्षमता पैदा करने के लिए बुलाए गए छोटे पैमाने के अंतर-ग्राम हल्मा को जन्म दिया। समुदाय के सदस्यों द्वारा मार्च से जून के दौरान क्षेत्र की जल संचयन क्षमता को बढ़ाने के लिए हल्मा का आयोजन किया जाता है। पिछले 11 वर्षों में हल्मा ने निम्न प्रकार से कार्यों को सुगम बनाया है –

जल संचयन संरचनाएं	मिट्टी के चेक डैम	जलाशय	समोच्च खाइयाँ	वृक्षारोपण	कौशल विकास	कुल ग्रामीण
65	10	55	141000	110000	12000+9000(प्रशिक्षित महिलाएँ)	1320

स्रोत: जनजातीय क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह 2021, आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (भारत) और एक्सिस बैंक फाउंडेशन।

एक तालाब जो पूरी तरह से सूख गया था, उसे झाबुआ के लोगों ने पुनर्जीवित किया। शुष्क क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन आया है और अब पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। स्पष्ट परिवर्तन को देखते हुए लोगों ने अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के अभियानों को लागू करना शुरू कर दिया है और हल्मा को शुरू कर

दिया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में अन्य प्रमुख कार्यों में 59 तालाबों का कायाकल्प किया जिनमें लगभग 400 करोड़ लीटर पानी आ सकता है, 4500 चेक डैम की मरम्मत, कुओं और हैंड-पंपों की रिचार्जिंग शामिल है।

झाबुआ जिले में एक सफल सामुदायिक प्रथा के रूप में हल्मा की सदियों पुरानी परंपरा का विकास देश में अन्य संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक प्रेरक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। जनजातीय समाज उनके सामने आने वाले मुद्दों और समस्याओं को हल करने के लिए सामुदायिक कार्रवाई का समर्थन करता है। यह समुदाय की ताकत है जिसने काम करने और मुद्दों को हल करने की प्रेरणा दी है। हल्मा का अनुभव बताता है कि मनरेगा जैसी वर्तमान सरकार की योजनाओं के साथ-साथ नवीन पारंपरिक प्रथाओं पर विचार करना विशेष रूप से ग्रामीण भारत में कई पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में मददगार साबित हो सकता है ।

स्वतंत्रता के बाद भारत में पर्यावरण प्रबंधन

मनोज कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आई सी ई डी, जयपुर

स्वतंत्र भारत ने 1952 में राष्ट्रीय वन नीति तैयार की। नीति ने वनों को कार्यात्मक रूप से संरक्षित वनों, राष्ट्रीय वनों, ग्राम वनों और वृक्ष भूमि में वर्गीकृत किया।

संरक्षित वन – वे वन जिन्हें भौतिक और जलवायु संबंधी कारणों से संरक्षित किया गया था। इनमें किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं थी। राष्ट्रीय वन - वे वन जिन्हें रक्षा, संचार, उद्योग और सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों के लिए बनाए रखने और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। इनका उपयोग विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। ग्राम वन - वे वन जिनसे वन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद की जाती है।

नीति में वनों के अंतर्गत कुल भूमि क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से को शामिल करने का लक्ष्य दिया गया है। हालाँकि, पहाड़ी और पहाड़ी ढलानों में मिट्टी के अधिक कटाव के कारण इसे उपलब्ध भूमि के दो-तिहाई हिस्से तक बढ़ा दिया गया, जबकि मैदानी इलाकों में 20% का मामूली लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्थायी वन उपज पर अतिरिक्त ध्यान दिया गया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि राष्ट्रीय लाभ के लिए वनों का दोहन किया जाना चाहिए किन्तु वन संसाधनों का दोहन वनों में वार्षिक वृद्धि से अधिक नहीं होना चाहिए। समीकृत और पूरक भूमि उपयोग के तरीके विकसित करने के प्रयास करने चाहिए जिसके तहत प्रत्येक श्रेणी की भूमि का उपयोग उसकी भूमि उपयोग क्षमता के अनुसार किया जाए ताकि यह अधिक उत्पादक हो और खराब कम हो। नीति में वन प्रशासन और फील्ड स्टाफ के विशेष प्रशिक्षण का भी समर्थन किया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 की राष्ट्रीय वन नीति तक भारत में वन प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज बनी रही।

वन महोत्सव 1947 में शुरू हुआ और 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के माध्यम से इसके विकास में तेजी आई। नीति ने किसानों द्वारा गाय के गोबर के उपयोग को ईंधन के रूप में हतोत्साहित किया। इसने समुदायों को स्थानीय ईंधन की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। ये वृक्षारोपण विशेष रूप से वन महोत्सव के दौरान वृक्ष भूमि क्षेत्रों में किया गया था जो वन प्रबंधन के दायरे से बाहर थे।

1952 की नीति में नदी के कटाव और पहाड़ों के वनोन्मूलन की जाँच पर भी जोर दिया गया था और इस तथ्य को दोहराया गया था कि पर्यावरण के संबंध में आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों और हितों

से समझौता नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, औद्योगीकरण, कृषि और बुनियादी ढाँचे का विकास 1972 तक विकास रणनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बना रहा।

स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर 1972 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने सतत विकास की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त किया। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन ने मानव पर्यावरण के क्षेत्र में भविष्य के लिए 26 वैश्विक सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की।

घोषणात्मक सिद्धांतों ने भारत में पर्यावरण संरक्षण की पहल को एक नई गति दी। इसके बाद भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में नई विधायी और प्रशासनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू हुई। इस तरह की पहली उल्लेखनीय कार्रवाई 1972 में पारित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम था।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

इस अधिनियम में संसद ने राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए संविधान के तहत अपनी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया।

इस अधिनियम में छह अनुसूचियां बनाई गईं जिसमें वनस्पतियों और जीवों के वर्गों को अलग-अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई। अनुसूची I और अनुसूची II (भाग II) को पूर्ण सुरक्षा मिलती है और इन अनुसूचियों के तहत अपराध करने पर अधिकतम दंड का प्रावधान है।

अधिनियम ने केंद्र सरकार (धारा 3) और राज्य सरकार (धारा 4) को वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्राधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन्यजीव सलाहकार बोर्ड के गठन के प्रावधान शामिल थे। अधिनियम में लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार और अनुसूचित जानवरों के व्यापार पर रोक लगा दी। हालाँकि, अधिनियम ने शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नमूनों का संग्रह और व्युत्पत्ति, जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण के लिए सांप के जहर के संग्रहण जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए शिकार की अनुमति दी।

अधिनियम में राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के अपने इरादे को अधिसूचित करने, घोषित करने का अधिकार दिया यदि यह माना जाता है कि ऐसा क्षेत्र वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार या विकास करने के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणीशास्त्रीय महत्व का है। अधिनियम ने पांच प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों की पहचान की। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व और टाइगर रिजर्व। अधिनियम के तहत एक केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी स्थापित किया गया था।

इस अधिनियम के अलावा 1980 तक अधिसूचित कुछ अन्य वन्यजीव अधिनियम थे-वन्य जीवन (लेन-देन और टैक्सिडर्मि) नियम, 1973 और वन्य जीवन (पशुधन घोषणापत्र) केंद्रीय नियम, 1973. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को 1991 में संशोधित किया गया जिसमें निर्दिष्ट पौधों के संरक्षण और चिड़ियाघरों के नियमन से संबंधित विशेष अध्यायों को सम्मिलित किया गया। इसमें आदिवासी और वनवासियों की जरूरतों को भी पहचाना गया और उनके कल्याण कार्यों में वृद्धि के लिए बदलाव किए गए। 1991 के संशोधन अधिनियम द्वारा शिकार पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध को और अधिक प्रभावी बना दिया गया था।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 सामान्य रूप से सभी जंगली वनस्पतियों, जीवों और सीआईटीईएस के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने में भी अपनी भूमिका निभाता है। भारत 1976 में सीआईटीईएस का एक सदस्य बन गया। यह लुप्तप्राय प्रजातियों या उनसे बने उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार को नियंत्रित करने और रोकने के लिए काम करता है। सीआईटीईएस उनके अवैध शिकार के लिए आर्थिक प्रोत्साहन को कम करके लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय बाजार को बंद करके काम करता है।

प्रोजेक्ट टाइगर

1972 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम ने बाघ को संरक्षित वन्यजीव प्रजाति के रूप में घोषित किया। यह अध्याय IV बी के तहत "राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण" के निर्माण की गणना करता है। बाघों की आबादी की पहली जनगणना 1972 में की गई थी जिसमें बाघों की संख्या मात्र 1827 पाई गई थी। इसके बाद एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और 1973 में टास्क फोर्स की सिफारिशों पर भारत में बाघों की आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना "प्रोजेक्ट टाइगर" प्रारंभ की गई।

प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल रही है। जबकि परियोजना का क्षेत्र कार्यान्वयन, नामित रिजर्व में संरक्षण और प्रबंधन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है, जो व्यय की आवर्ती मदों के लिए समान अनुदान भी प्रदान करते हैं, फील्ड स्टाफ/अधिकारियों को तैनात करते हैं और उनका वेतन देते हैं। परियोजना टाइगर, निदेशालय पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्त पोषण सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गठित टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की स्थापना की गई थी। एनटीसीए का गठन वन्यजीव (संरक्षण)

अधिनियम, 1972 की धारा 38 एल (1) के तहत किया गया है। बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत यह एक वैधानिक निकाय है।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए), 1986 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए 1988 में संशोधित किया गया था। जल अधिनियम 1974, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अस्तित्व में आया। बोर्ड को किसी भी उद्योग की स्थापना, संचालन व प्रक्रिया या सीवेज सुविधा के उपचार और निपटान के लिए अनुमति देने का अधिकार दिया गया था। बोर्ड वांछित स्तर के निर्वहन के लिए मानक भी निर्धारित कर सकते हैं और अपशिष्टों को नदी में छोड़ने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। बोर्ड अब उन मामलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जहां एक दुर्घटना या अप्रत्याशित कार्य या किसी अन्य कारण से हानिकारक अपशिष्ट जल निकायों में छोड़ा गया था। प्रदूषण की आशंका के मामले में निवारक शक्तियां भी उपलब्ध थीं।

जल अधिनियम के बाद जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1975 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) (व्यवसाय के लेन-देन की प्रक्रिया) नियम, 1975 का पालन किया गया। जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 इसका पालन किया और उद्योगों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा खपत किए गए पानी पर उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान किया। इसका उद्देश्य जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय और राज्य बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाना है। यह अधिनियम अंतिम बार 2003 में संशोधित किया गया था। जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर नियम 1978 में मीटर के प्रकार और स्थान के लिए मानकों और संकेतों को परिभाषित करने के लिए तैयार किए गए थे जिन्हें पानी के प्रत्येक उपभोक्ता को स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, भारत में मुख्य रूप से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1972 में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के बाद आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सम्मेलन के बाद पर्यावरण की रक्षा के लिए कई विधायी और प्रशासनिक कार्य किए गए। संसद उन विषयों पर कानून बनाने के लिए आगे आई जो राज्य के अंतर्गत आते थे। इन अधिनियमों/नियमों और बाद के वर्षों में उनके संशोधनों ने भारत में संरक्षण प्रयासों को बढ़ाया है और देश में पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए ढांचा प्रदान किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखा परीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (iCED) में पर्यावरणीय संरक्षण

श्री मनीष मंगल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आई सी ई डी, जयपुर
श्री सोनू दायमा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक/सम्पदा

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखा परीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (iCED) परिसर में डिजाइन से लेकर दैनिक संचालन में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है इसके निर्माण में उर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

परिसर के निर्माण के दौरान भारत के ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2006 में निर्धारित मानदंडों को ऊर्जा कौशल डिजाइन और भवन के निर्माण के लिए लागू किया गया है।

पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री एवम् कंक्रीट और ईंटों में फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है।

गर्मी संचरण को कम करने के लिए सौर परावर्तक फिल्मों के साथ डबल ग्लेज्ड खिड़कियां और दरवाजे लगाये गए हैं तथा दीवारों पर उर्जा रोधक पत्थरों का सूखा आवरण स्थापित किया गया है, जिससे ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में तापमान का प्राकृतिक विधि से संतुलन बनाये रखने में सहायता मिलती है।



चित्र 1 : दीवारों पर स्थानीय रूप से उपलब्ध उर्जा रोधक पत्थरों का सूखा आवरण

ऊर्जा दक्षता सुविधाओं में अभिविन्यास अनुकूलन, झरोखे एवं बड़े आकार की खिड़कियाँ इत्यादि शामिल हैं। प्रशिक्षण कक्षों में प्राकृतिक प्रकाश के लिए विशेष आकार के रोशनदान बनाये गए हैं।



चित्र 2 एवं 3 : बड़े आकार की खिड़कियाँ एवं विशेष आकार के रोशनदान

भवन के वातानुकूलन के लिए बिजली की बचत करने वाले उपकरण जैसे कि उच्च दक्षता वाले स्कू चिलर, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम यूनिट, वेरिएबल एयर वॉल्यूम एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) का उपयोग किया गया है।



चित्र 4, 5 एवं 6 : स्कू चिलर, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम यूनिट, वेरिएबल एयर वॉल्यूम एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू)



चित्र 7 : कम बिजली की खपत के लिए मोशन डिटेक्टर सेंसर प्रणाली का उपयोग किया गया है



चित्र 8 : इमारतों में गर्म पानी के लिए सौर जल तापन प्रणाली का उपयोग किया गया है

हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के लिए 50 केवीए का सौर उर्जा सयंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें 120 पैनल लगी हुयी हैं | सौर उर्जा सयंत्र से कार्यालय में स्थापित “स्ट्रीट लाइट, बाउंड्री लाइट, कॉरिडोर और शौचालय, सीसीटीवी और बोर्डार्ड गार्डन पथ” आदि संचालित होती हैं ।



चित्र 9 : 50 किलो वोल्ट क्षमता का सौर उर्जा सयंत्र

परिसर में गिरने वाली प्रत्येक वर्षा से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का उपयोग किया जाता है | वर्षा जल संचयन टैंक में लगभग 7-8 लाख लीटर तक वर्षा का पानी संचय होता है । यह पानी कार्यालय के उद्यान के पौधों के लिए एक महीने तक पर्याप्त है ।

परिसर में गिरने वाली प्रत्येक वर्षा से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वर्षा जल संचयन टैंक में लगभग 7-8 लाख लीटर तक वर्षा का पानी संचय होता है। यह पानी कार्यालय के उद्यान के पौधों के लिए एक महीने तक पर्याप्त है।



चित्र 10 : वर्षा जल संचयन प्रणाली

निर्जल मूत्रालय: पानी की खपत को कम करने के लिए निर्जल मूत्रालय लगाये गए हैं जो पानी की आवश्यकता को शून्य तक कम कर देते हैं।

अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिए प्रति दिन 40 घन मीटर क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है, जिससे उद्यान के पौधों के लिए उपयोग किया जाता है।

जल संरक्षण के लिए बूंद-बूंद सिंचाई विधि का भी उपयोग किया जाता है।

जैविक कचरे (उद्यान, रसोई / भोजन) से परिसर के भीतर ही खाद बनाया जाता है एवम् प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को हतोत्साहित किया जाता है।



चित्र 11 : जैविक खाद बनाने के लिए पिट

रेयर ट्रीज पार्क में पेड़ों की कई प्रजातियां संरक्षित हैं जैसे अडूसा, बीजा-साल, हडजोड़, रोहिड़ा आदि जो इस क्षेत्र में दुर्लभ हो गई हैं। इसके अलावा औषधीय गुणों वाली 20 जड़ी-बूटियों/पेड़ों को भी लगाया गया है।

प्राचीन भारत में पर्यावरणीय प्रबंधन

मनोज कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आई सी ई डी, जयपुर

होमो सेपियन्स का विकास और पर्यावरण प्रदूषण अनादि काल से साथ-साथ चलता आ रहा है। पर्यावरण कानूनों का कार्यान्वयन और व्यवहार इसके प्रभाव को धीमा करने और अंततः इसे रोकने का एक ऐसा साधन रहा है।

40वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के पारिस्थितिक संरक्षण की सोच के बारे में मोर, बाघ, हाथी, मुहरों और मिट्टी के बर्तनों में बैल जैसे जंगली जानवरों के अवशेषों से पता लगाया जा सकता है। फिकस रिलिजिओसा (पीपल, बोधिवृक्ष) नामक पवित्र वृक्ष को सिंधु सभ्यता की मुहरों में देखा जा सकता है, जिन्हें कई राजाओं और धर्मों द्वारा संरक्षित किया गया था।

वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य शास्त्र भी एक आम आदमी के जीवन में प्रकृति के महत्व का समर्थन करते हैं। लगभग 1200 ईसा पूर्व लिखा गया ऋग्वेद जलवायु को प्रभावित करने, प्रजनन क्षमता बढ़ाने और मानव जीवन के सुधार में प्रकृति के महत्व को रेखांकित करता है। अथर्ववेद (1000-900 ईसा पूर्व) दिखाता है कि कैसे पेड़ों को विभिन्न देवी-देवताओं का पवित्र निवास माना जाता है। यजुर्वेद (1200-800 ईसा पूर्व) जीवित प्राणियों के बीच सहजीवन की अवधारणा के बारे में बताता है।

मनुस्मृति (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी सीई) में जीवित रूपों को चर (चल जीवित दुनिया) और अचर (अचल-पौधे साम्राज्य) मानकर भेद किया गया है। जानवरों के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण, शाकाहारी भोजन की आदतों को सबसे अधिक महत्व दिया गया। अश्व (घोड़ा), उस्तरा (ऊंट), मृग (हिरण), खरा (गधा), इभा (हाथी), अज (बकरी), अही (सांप), अहिसा (भैंस) को मारना पाप माना जाता था।

(मनुस्मृति एक प्राचीन कानूनी पाठ है। इसका उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा हिंदू कानून बनाने के लिए किया गया था।)

अर्थशास्त्र (321 और 300 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया) के अनुसार शासक न केवल उपज-वनों, हाथी-वनों की रक्षा करेगा बल्कि नए भी स्थापित करेगा। यह दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सूचित करता है जो प्राकृतिक संसाधनों के किसी भी नुकसान के मामले में लगाए जाने हैं। जैसे कि नगरीय क्षेत्र में वृक्षों की कोमल कोपलों को काटने के लिए, जिन पर फल या फूल लगते हैं या छाया देते हैं-

छः पना का दण्ड, छोटी डालियों को काटने के लिए- बारह पना; मोटी डालियों को काटने के लिए- चौबीस पना का दण्ड।

राज्य के संरक्षण के तहत हिरण, बाइसन, पक्षियों या मछलियों को पकड़ने, मारने या घायल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित करने के प्रावधान थे। उन इलाकों की सीमाओं पर जंगली जानवरों के लिए आरक्षित जंगल थे जहाँ ये जानवर शांति से रह सकते थे। वनों को एक स्थायी रूप में उपयोग किया जाने वाला एक मूल्यवान संसाधन माना जाता था।

यहां तक कि विशेष पदों पर वन निदेशकों, मवेशियों, घोड़ों, हाथियों और चरागाहों के अधीक्षकों, पशु के बूचडखानों के पर्यवेक्षक कभी होते थे। उन्हें वन्यजीवों की रक्षा और सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था, जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोका गया था।

(पना शुरुआती भारतीय सिक्कों की एक किस्म है, जिन पर धातु की मुहर लगी हुई थी)

मौर्य काल के दौरान, राजा अशोक ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए। 5वें स्तंभ शिलालेख में बताया गया है कि चार-मासिक ऋतुओं की पहली पूर्णिमा के तीन दिनों और जब पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के चौदहवें और पंद्रहवें तारे तिथि पर पड़ती है तथा अमावस्या के पहले दिन और नियमित रूप से उपवास के दिनों में मछलियों को पकड़ा या बेचा नहीं जाना है, इसी अवधि के दौरान हाथी-पार्क और मत्स्य पालन में अन्य वर्गों के जानवरों को नहीं मारा जाना चाहिए। मवेशियों और घोड़ों को ब्रांडेड नहीं किया जाता था।

(तिथि या तिथि, जिसे अब हम पुष्य के रूप में जानते हैं, वैदिक और साथ ही पौराणिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण तारा है। इसे अधिकांश विद्वानों द्वारा इस तारा डेल्टा (δ) कैनरी नक्षत्र कर्क के साथ पहचाना गया है।)

पेड़ कितने महत्वपूर्ण थे?

2,000 साल पहले भी फ़िक्स धर्मियोसा जैसे पेड़ों को पवित्र माना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष था और इसकी एक शाखा को भारतीय सम्राट अशोक महान के आदेश पर हटा दिया गया था। कहा जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अशोक ने वृक्ष की शाखा पर राजत्व प्रदान किया और इसे एक मोटी रिम वाले ठोस सोने के फूलदान में लगाया। इसके बाद वह शाखा को पहाड़ों पर और गंगा नदी के नीचे बंगाल की खाड़ी में ले गया। वहां, उनकी बेटी इसे एक जहाज पर ले गई और राजा को भेंट करने के लिए श्रीलंका के लिए रवाना हुई। अशोक को पौधे से इतना प्यार था कि उसके आंसू छलक पड़े।

मुगल काल के दौरान एक प्रशासनिक पद "मुहतासिब" बनाया गया था जिसका कर्तव्य प्रदूषण की रोकथाम को देखना था। शेर और बाघ का शिकार विशेष रूप से केवल शाही परिवार के सदस्य ही कर सकते थे। जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देने और जानवरों को मारने की अस्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए अकबर द्वारा किए गए प्रयासों ने भारत में पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया।

इसलिए, मानव सभ्यता के हर युग में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा है और कानूनों और विनियमों ने इसके अत्यधिक शोषण और विनाश को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम किया है। इस देश में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय के साथ पर्यावरण कानूनों को अधिनियमित और संशोधित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन और लाइकेन: क्या लाइकेन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में पिछड़ रहे हैं?

डॉ दिव्या सिंह, रिसर्च असोसिएट, आई सी ई डी, जयपुर

लाइकेन एक कवक और एक खाद्य बनाने वाले साथी के बीच सहजीवी संबंध के रूप में जाने जाते हैं जिसमें शैवाल और सायनोबैक्टीरिया जैसे क्लोरोफिल होते हैं। इसमें प्रमुख भागीदार कवक है और कवक अपने साथी के लिए उपयुक्त आवास, चीनी, पानी और खनिज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। बदले में शैवाल कार्बन को संश्लेषक रूप से स्थिर करते हैं और कवक ग्रीनहाउस को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन ज्यादातर एपिफाइटिक होते हैं अर्थात वे पौधे की सतह पर उगते हैं और आसपास से पोषक तत्व और नमी प्राप्त करते हैं। अत्यधिक निर्जलीकरण की स्थिति के संपर्क में आने के 24 घंटों के भीतर लाइकेन अपनी चयापचय गतिविधियों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लाइकेन बड़े पैमाने पर यूवी और ब्रह्मांडीय विकिरण के पूर्ण संपर्क के बाद अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनकी अनूठी संरचना उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है (सांचो एट अल, 2007)। ये स्थितियां आमतौर पर अन्य जीवों के लिए घातक होती हैं।

औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से, वैश्विक परिवर्तन के प्रमुख चालकों के प्रभावों की कुशलता से निगरानी करने के लिए एपिफाइटिक लाइकेन की विविधता का उपयोग किया गया है। ये जीव अपनी विशेष संरचना और पोषक तत्व तथा पानी प्राप्त करने के तरीके के कारण पर्यावरण और वायु प्रदूषण में परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील हैं (माटोस एट अल, 2017)। लाइकेन वायु गुणवत्ता में परिवर्तन और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के संकेतक हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिल जाती है तो लाइकेन उन्हें अवशोषित कर लेता है और अम्लीय परिस्थितियों के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। किसी क्षेत्र में लाइकेन की अनुपस्थिति परिवेशी वायु में उच्च स्तर के संपदूषण का संकेत है (समाधान, 2019)। लाइकेन का नुकसान न केवल उन अनगिनत पारिस्थितिक तंत्रों का नुकसान है जो उन पर निर्भर हैं बल्कि वायुमंडलीय कार्बन और ऑक्सीजन सामग्री में असंतुलन भी पैदा करता है। रेगिस्तान में, लाइकेन को मिट्टी स्थिरीकरण और मिट्टी के कटाव के माध्यम से पोषक तत्वों के नुकसान को रोकने के लिए जाना जाता है (टैमीसिया-2022)। जलभराव वाले वातावरण में लाइकेन जल को रोक देता है जिससे जल विज्ञान चक्र बना रहता है।

लाइकेन हमारे ग्रह के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे सूक्ष्म लेकिन तापमान में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। वनस्पति में अन्य परिवर्तन स्पष्ट होने से पहले लाइकेन संभावित रूप से स्थानांतरित जलवायु परिस्थितियों का शीघ्र पता लगाने की अनुमति देते

हैं। दुर्भाग्य से उतार-चढ़ाव वाली जलवायु परिस्थितियों के साथ लाइकेन में परिवर्तन धीरे-धीरे होते हैं जिससे वे बदलते तापमान के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं (फील्ड संग्रहालय, 2022)।

इसका मतलब यह भी है कि बदलती जलवायु भी अपने साथ बहुत सारे लाइकेन को नष्ट कर देगी और सिस्टम के पोषक चक्र को बिगाड़ देगी। इसी तरह की एक घटना यूके में हुई जहां परिवेश के तापमान (समाधान, 2019) के धीरे-धीरे गर्म होने के कारण देश में प्रजातियों के भूमध्यसागरीय उपभेद धीरे-धीरे घट रहे हैं।

अध्ययनों ने एक संकेतक के रूप में लाइकेन का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन की निगरानी की (वैगनर एट अल, 2021) और यह समझा कि शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंधों के लिए माइक्रोकलाइमैटिक स्थितियां जिम्मेदार हैं। कुछ रिपोर्टें चेतावनी देती हैं कि यदि पृथ्वी का गर्म होना जारी रहेगा तो ट्रेबौक्सिया प्रजातियों की संख्या (जो 7000 से अधिक विभिन्न प्रकार के लाइकेन को शक्ति प्रदान करती है) काफी कम हो जाएगी (द प्रिंट, 2022)। जलवायु परिवर्तन की वर्तमान दर और वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के साथ ही लाइकेन सबसे अधिक संकटग्रस्त समूहों में से एक बन सकता है (सैज़ एट अल, 2021)। लाइकेन प्रमुख रूप से पृथ्वी की कुल सतह के लगभग 7% हिस्से पर उगता है और उन्हें खोने से वैश्विक पोषक तत्व और जल चक्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

यूरोपीय संघ के वनों में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के लिए यूरोपीय संघ का वित्त पोषण: सकारात्मक लेकिन सीमित परिणाम (2021 की विशेष रिपोर्ट 21)

अनुपम श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आई सी ई डी, जयपुर

- पृष्ठभूमि और रुझान

यूरोप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण वनों की अशांति (जंगल की गड़बड़ी) के बढ़ते जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें जंगल की आग, सूखा, तूफान, समुद्र के स्तर में वृद्धि, या (नए) कीटों और बीमारियों के उद्भव और प्रसार आदि शामिल हैं। यह वनों की कार्बन को सोखने के रूप में कार्य करने की क्षमता पर दबाव बन रहा है। लचीले वन इन प्रभावों का सामना कर सकते हैं और इसलिए वनों के कार्बन पृथक्करण निष्पादन को संरक्षित करते हैं। लचीले वन प्राप्त करने के साधन के रूप में वन प्रबंधन प्रथाएं और नियोजन तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। वनों में जैव विविधता को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए सतत प्रबंधन प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं।

2020 स्टेट ऑफ़ यूरोप्स फ़ॉरेस्ट रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "औसतन, यूरोपीय जंगलों की स्थिति बिगड़ रही है"। सदस्य राज्यों की अन्य रिपोर्टों और आंकड़ों ने पुष्टि की है कि वनों के संरक्षण की स्थिति में गिरावट आ रही है। यूरोपीय संघ (ईयू) के बजट से वन क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण कृषि की तुलना में बहुत कम है - सामान्य कृषि नीति (सीएपी) बजट के 1% से भी कम है - और संरक्षण उपायों के समर्थन और वुडलैंड को रोपण और पुनर्स्थापित करने के सहयोग पर केंद्रित है।

यूरोपीय संघ के वानिकी वित्तपोषण का 90% ग्रामीण विकास के लिए यूरोपीय कृषि कोष (ईएफएआरडी) के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इस क्षेत्र में यूरोपीय संघ के अंतरराष्ट्रीय दायित्व हैं, जिसमें अवैध कटाई की रोकथाम करना और जैव विविधता की रक्षा करना शामिल है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य यूरोपीय संघ के वनों को प्रभावित करने वाली नीतिगत चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना था।

लेखापरीक्षा का दायरा और दृष्टिकोण

लेखापरीक्षा द्वारा शामिल की गई अवधि 2014-2020 थी। ऑडिट ने यूरोपीय संघ के वनों में जैव विविधता की रक्षा और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया और जांच की कि क्या यूरोपीय संघ के कार्यों ने जैव विविधता संरक्षण में सहयोग किया है और यूरोपीय संघ के वनों में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया है:

- कई प्रमुख पर्यावरण और जलवायु नीतियों में आयोग की कार्रवाई का प्रभाव और
- यूरोपीय संघ के ग्रामीण विकास के माध्यम से वित्त पोषित वानिकी उपायों का विशेष प्रभाव।

लेखापरीक्षा का दायरा यूरोपीय संघ के वनों को शामिल करता है, और यूरोपीय संघ के प्रमुख नीति क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां ईयू टिम्बर विनियमन का संबंध है, लेखापरीक्षा ने विशेष रूप से घरेलू लकड़ी की निगरानी पर ध्यान दिया।

मुख्य निष्कर्ष:

कुल मिलाकर, रिपोर्ट से निष्कर्ष निकला है कि उन क्षेत्रों में जहां यूरोपीय संघ कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, यूरोपीय संघ के वनों में जैव विविधता की रक्षा और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए यूरोपीय संघ का सकारात्मक लेकिन सीमित प्रभाव पड़ा है:

(क) यूरोपीय संघ ने वनों के हैबिटेट्स व बर्ड्स के संरक्षण के लिए निर्देशों को मंजूरी दी और आयोग ने यूरोपीय संघ के वनों की खराब जैव विविधता और संरक्षण की स्थिति को संबोधित करने के लिए कई रणनीतियों को अपनाया है। यह पाया गया कि निर्देशों द्वारा शामिल किए गए इन हैबिटेट्स के संरक्षण उपायों की गुणवत्ता समस्याग्रस्त बनी हुई है।

(ख) इमारती लकड़ी विनियमन का उद्देश्य यूरोपीय संघ में अवैध कटाई को रोकना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयोग ने सदस्य राज्य के जांच बिंदुओं की गुणवत्ता का आकलन नहीं किया है। जबकि रिमोट सेंसिंग ने बड़े क्षेत्रों में लागत प्रभावी निगरानी के लिए काफी संभावनाएं पेश कीं, आयोग ने इसका लगातार उपयोग नहीं किया।

(ग) यूरोपीय संघ अपनी जलवायु परिवर्तन नीतियों में वनों को तेजी से संबोधित कर रहा है। अक्षय ऊर्जा निर्देश और भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी (LULUCF) विनियमन दोनों में वनों में जलवायु परिवर्तन की समस्या पर विशेषता रखता है। हालाँकि, वनों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और ऊर्जा के लिए वनों के उपयोग पर पारिस्थितिक सीमाएँ निर्धारित करने जैसे मुद्दे कम प्रखर थे। वुडलैंड जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के फोकस में सुधार के प्रयास ज्ञान और सूचना की कमी के कारण बाधित हुए थे।

(घ) ईयू चैनल मुख्य रूप से ईएफआरडी के माध्यम से वानिकी से संबंधित जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑडिट में पाया गया कि, कुल मिलाकर, ईएफआरडी नियम और प्रक्रियाएं जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक जैव विविधता और लचीलापन की गारंटी नहीं देती हैं। 2020 के बाद आम कृषि नीति (सीएपी) के विधायी प्रस्तावों ने सदस्य राज्यों को वानिकी सहायता योजनाओं के डिजाइन में अधिक लचीलापन दिया और इन कमजोरियों को दूर

नहीं किया। यूरोपीय संघ की साझा निगरानी प्रणाली ने वानिकी उपायों की जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन प्रभावों को नहीं मापा।

इन निष्कर्षों के आधार पर, लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

- जैव विविधता में यूरोपीय संघ के योगदान में सुधार और यूरोपीय संघ के वनों में जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से निपटना;
- अवैध कटाई के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना; तथा
- जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर ग्रामीण विकास वानिकी उपायों के फोकस में सुधार करना।

मेरी अंडमान यात्रा

उत्कर्ष कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ लेखापरीक्षक/प्रशासन, आई सी ई डी, जयपुर



अंडमान द्वीपसमूह का नाम लेते ही हमारे मन में सुंदर समुद्र तटों का चित्र उभर कर सामने आता है। मैं काफी समय से अंडमान घूमने के लिए इच्छुक था। अंततः मेरी ये इच्छा अप्रैल 2019 में पूरी हुई जब मैंने परिवार के साथ अंडमान यात्रा का आनंद उठाया। अब यात्रा के रोचक वर्णन पर आते हैं।

पहला दिन : अंडमान द्वीपसमूह की राजधानी पोर्टब्लेयर है। चूंकि मैं चेन्नई में पोस्टेड था, मैंने चेन्नई से पोर्टब्लेयर के लिए इंडिगो एयरलाइन्स की फ्लाइट बुक की। हमारी फ्लाइट चेन्नई से सवेरे 7 बजे की थी जिसने तकरीबन दो घंटे बाद हमें वीर सावरकर एयरपोर्ट (पोर्टब्लेयर एयरपोर्ट का नाम) पर उतारा। जहां हमारा ट्रेवल एजेंट हमें तवेरा गाड़ी से लेने के लिए आया। जी हाँ अंडमान में तवेरा जैसी बड़ी गाड़ियों का प्रचालन अधिक है। थोड़े विश्राम एवं अल्पाहार के बाद हम होटल के नज़दीक ही स्थित कालापानी नामक संग्रहालय घूमने गए। इस संग्रहालय के माध्यम से हमको कम ही समय में अंडमान के इतिहास को जानने का मौका मिला। इसके बाद हम सेल्यूलर जेल देखने के लिए गए जो कि अंडमान का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। सेल्यूलर जेल वास्तुकला का एक चमत्कार है यहाँ हमें स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए अत्याचारों

की झलक मिली | फिर हमने कोरबिन कोव बीच की ओर प्रस्थान किया | इस बीच का नाम अंडमान के पहले प्रशासक कोरबिन कोव के नाम पर रखा गया है | बीच घूमने के बाद हमारा सेल्यूलर जेल पर ही लाइट एवं साउंड शो देखने का कार्यक्रम था | ये शो बेहद मार्मिक था, जिससे हमारे मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और बढ़ गया |

दूसरा दिन : दिन की शुरुआत हमने पोर्ट ब्लेयर से “ग्रीन ओशियन” नामक प्राइवेट जहाज़ के द्वारा हेवलोक द्वीप पहुँचने से की | इस यात्रा को करने में हमें तीन घंटे लगे | हेवलोक द्वीप के “एलडोराडो” रेसोर्ट में चैकइन करने के बाद हम यहाँ की सुप्रसिद्ध बीच “राधानगर” पहुंचे | ये बीच एशिया की सबसे सुंदर एवं विश्व की सातवीं सबसे सुंदर बीचों में शुमार है | हमने यहाँ अंडमान के विशेष फल “जांबुल” का भी स्वाद चखा | ये एक स्मरणीय अनुभव था |

तीसरा दिन : इस दिन हम तड़के सुबह “एलीफेंटा बीच” के लिए निकल गए | एलीफेंटा बीच का नाम पहले यहाँ पाएँ जाने वाले हाथियों के नाम पर रखा गया था | वर्तमान में यहाँ एक ही हाथी है | एलीफेंटा बीच बहुत ही सुंदर बीच है जहां बहुरंगी समुद्री पानी पाया जाता है | यहाँ हमने कुछ खेलकूद गतिविधियाँ भी की जैसे जेट स्कीइंग आदि | इसके बाद हमने नील द्वीप पर जाने के लिए “मकरूज़” नामक प्राइवेट जहाज़ लिया | नील द्वीप पर हमने “टेंगों” नामक रेसोर्ट में चैकइन किया | रेसोर्ट के पीछे ही लक्ष्मणपुर बीच थी जो की सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है | शाम का समय हमने बीच पर सैर करने एवं कोरलों को निहारने में बिताया |

चौथा दिन : इस दिन हम भरतपुर बीच पर गए | फिर हमने नील द्वीप के मुख्य आकर्षण ‘नैचुरल ब्रिज फोरमेशन’ की तरफ रुख किया | यहाँ हमारे गाइड ने हमें समुद्री जीव दिखाये एवं हम लोगो की तस्वीरें खींचीं | इसके बाद हम पोर्ट ब्लेयर में रात्रि विश्राम के लिये अपने होटल पहुँचे | अगले दिन सुबह हमारी वीर सावरकर एयरपोर्ट से चेन्नई के लिये फ्लाइट थी | यहाँ से हमने कुछ प्रसिद्ध मसाले एवं शंख खरीदे, फिर चेन्नई के लिये प्रस्थान किया |

अंडमान के मनभावन दृश्य हमारे मानसपटल पर सदैव अंकित रहेंगे |

आई सी ई डी परिसर में सम्पन्न हुई विभिन्न गतिविधियों की झलकियाँ



माननीय सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी बाल उद्यान का उद्घाटन करते हुए



माननीय सीएजी के आईसीईडी आगमन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति की झलकियाँ



आईसीईडी के स्थापना दिवस के उपलक्ष में महानिदेशक महोदया कार्यालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए



प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान महानिदेशक महोदया एवं अन्य प्रतिभागी



प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान महानिदेशक महोदया स्टाफ एवं प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान महानिदेशक महोदया एवं निदेशक महोदय

आईसीईडी के स्थापना दिवस के उपलक्ष में पौधारोपण समारोह की कुछ झलकियाँ





स्वतंत्रता दिवस समारोह की झलकियाँ





अमलतास

चेत्र विदा होते -होते, जब दिवाकर दिखाने लगते है अपना प्रताप,
तब मौसम को लगता है जैसे कोई अनचाहा पक्षाघात ।
बैसाख-जयेष्ट की लू के थपेड़ो से सब मान लेते हैं अपनी हार,
कोई एक होता है जो कर लेता है भास्कर की चुनौती को स्वीकार ।
क्या जीव क्या वनस्पति जब हो जाते हैं निढाल,
वही एक जो जगता है सभी में एक आत्मविश्वास ।
अपनी हर टहनी पर वह लगा देता है अनेको पीले झूमर,
जिसे देख सभी जीवों के मन करने लगते हैं घूमर ।
जीवन की कड़ी दुपहरी में तुमसे हम मुस्काना सीखें,
घूँट-घूँट पी रंग धूप का हम कुन्दन बन जाना सीखें ।
कठिन परिस्थितियों में भी जगाना है सभी को उल्लास,
यही संदेश दे जाता है मेरे आँगन में खड़ा अमलतास ।

जयंत शर्मा, सलाहकार, आई सी ई डी, जयपुर

